संख्याः–946/ XVII-3/2009-02(बजट)/2009

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंह नगर/हरिद्वार।

समाज कल्याण अनुभाग–3 देहरादून दिनांक 18 नवम्बर, 2009

विषयः बहुक्षेत्रीय जिला विकास योजनान्तर्गत जनपद हरिद्वार एवं उधमसिंह नगर में आंगनवाडीं केन्द्रों के निर्माण हेतु धनराशि निर्वतन पर रखें जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, भारत सरकार के पत्र संख्या 3/20(1)/2008–PP-I दिनांक 31 जुलाई, 2009 एवं शासनादेश संख्या 937/XXVII-3/09–02 (बजट)/2009 दिनांक 16 नवम्बर, 2009 (छायाप्रतियां संलग्न) के कम में जनपद हरिद्वार / उधमसिंह नगर हेतु निम्नानुसार धनराशि उक्त शासनादेश में प्राविधानित एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संम्बधित जिलाधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

कम संख्या	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	कुल आंबटन (लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि (लाख में)
1.	उधमसिंह नगर	आंगनवाडीं केन्द्रों के निर्माण हेतु।	372.00	186.00
2.	हरिद्वार	आंगनवाडीं केन्द्रों के निर्माण हेतु।	300.00	150.00

1. उक्त धनराशि इस आशय से निर्वतन पर रखी जा रही है कि आहरण/व्यय हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पृथक से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा शासन से व्यय की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही धनराशि कार्यदायी संस्था को नियमानुसार हस्तांतरित की जायेगी।
2. भारत सरकार के शासनादेश संख्याः 3/20(1)/2008–PP-I दिनांक 31 जुलाई, 2009 एवं संख्या 3/20(2)/2008–PP-I दिनांक 31 जुलाई, 2009 में निहित प्रतिबन्ध/दिशा निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
3. वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः 515/XXVII(1)/2008 दिनांक 28 जुलाई, 2009 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

5. अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

6. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

7. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 तथा आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

8. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9. यदि किसी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग अपेक्षित हो तो उसका औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय–सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

12. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलबध कराएं।

13. बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

14. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15–2250–अन्य सामाजिक सेवायें–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधारित योजनाएं–0101–अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट योजना (100% के0स0)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

15. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या –558(P) /XXVII(3) /2009 दिनांक 18 नवम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमती के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 946 (1)/XVII-3/2009-02(बजट)/2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढवाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव।